

परियोजना का नाम :- जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भण्डेली बैण्ड (थलीसैण) से जखोला मोटर मार्ग (9.500 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावट जखोला (CC 645600, H130, Pop.271) को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या : 1760 / पी03-14 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 09 दिनांक 14 दिसंबर, 2009 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट जखोला की आवादी 271 अपी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि 3.220 है0, आरक्षित वन भूमि 0.900 है0, नाप भूमि 3.800 है0, सिविल सोयम भूमि 0.630 है0 एवं मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि 0.704 है0 प्रभावित हो रही है जो चूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्हैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 9.500 किमी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली वन पंचायत भूमि 3.220 है0, आरक्षित वन भूमि 0.900 है0 एवं सिविल सोयम भूमि 0.630 है0 प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

Subroto
कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंखो) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

Jmm
संसदीकृत अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंखो) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

Wm
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंखो) बैजरो
पा.एम जी0एस वाई0 (सिंखो) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली, चाड़ा गढ़वाल